

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 578]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/ AGRAHAYANA 6, 1935

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

सं. 113/2013-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 751(अ)—जबकि, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के अंतर्गत आने वाले जूट उत्पादों जिन्हें, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 09 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तालिका के कालम (2) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के तदनुसूची शीर्ष की शर्तों के अनुसार भी विनिर्दिष्ट किया गया है, को उपर्युक्त अधिसूचना के परंतुक में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अंतर्गत उन्हें, उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी, को, उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत उपलब्ध छूट को बढ़ाते हुए 9 जुलाई, 2004 से 13 फरवरी, 2011 तक की अवधि के दौरान बंगलादेश से आयात किए जाने की अनुमति दी गई थी।

और जबकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 51) (जिसे यहां सीमा-शुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत शुल्क लगाए जाने (गैर शुल्क सहित) के संबंध में सामान्य रूप से प्रचलित परिपाटी के अनुसार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के अंतर्गत आने वाले जूट उत्पादों, जिन्हें उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देते हुए बंगलादेश से आयात किए जाने की अनुमति दी जा रही थी, वे उपर्युक्त अवधि के दौरान, उक्त परिपाटी के अनुसार उन पर लगाए गए शुल्क से, अधिक धन राशि के लगाए जाने वाले शुल्क के दायी थे।

अब, अतः सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के अंतर्गत आने वाले बंगलादेश से आयात किए जाने वाले जूट उत्पादों पर सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क की, उपर्युक्त परिपाटी के सिवाय, उपर्युक्त वस्तुओं जिन पर उक्त परिपाटी के कारण उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त सीमा-शुल्क नहीं लगाया गया था, के संबंध में अदा किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 521/101/2010-एसटीओ (टीयू)]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

No. 113/2013-Customs (N. T.)

G.S.R. 751 (E).—Whereas the Jute products falling under headings 5310 and 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and also specified in terms of the corresponding headings of the First Schedule to the Central Excise Act, 1985 (5 of 1986), in column (2) of the Table to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.30/2004-Central Excise, dated the 9th July, 2004, were exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), subject to fulfilment of the condition as specified in the proviso to the said notification, were allowed to be imported from Bangladesh during the period commencing on the 9th day of July, 2004 and ending with the 13th day of February, 2011 by extending the exemption available under the said notification;

And Whereas, the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof) under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the Customs Act), the Jute products falling under headings 5310 and 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, that were being allowed to be imported from Bangladesh by exempting from the whole of the additional duty of customs, leviable thereon under sub-section (1) of Section 3 under the said Customs Tariff Act were liable to a higher amount of duty than what was levied according to the said practice, during the aforesaid period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28A of the Customs Act, the Central Government, hereby, directs that the whole of the additional duty of customs, leviable thereon under sub-section (1) of Section 3 under the Customs Tariff Act, on the Jute products falling under headings 5310 and 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, imported from Bangladesh, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the said goods on which the aforesaid duty of customs was not levied during the aforesaid period on account of the said practice.

[F. No. 521/101/2010-STO (TU)]

M. V. VASUDEVAN, Under Secy.